न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 447/2000 (817/1999)
लायर दिनांक :– 25.09.1999

अनवान

श्री गोपाल लाल पिता रामनिवास सुनार नि. जहाजपुर तह0 जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्री रामस्वरूप पिता कालू लाल सुनार नि. जहाजपुर तह0 जहाजपुर
2. श्री रामेश्वर पिता कालू लाल सुनार नि. जहाजपुर हाल पुलिस कांस्टेबल पुलिस लाईन भीलवाडा
3. श्रीमति जानकी देवी पत्नि कालू लाल सुनार नि. जहाजपुर तह0 जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री ओमप्रकाश मुन्दडा, वकील वादी
2. श्री रितेश कांटिया, वकील प्रतिवादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 09.12.2019

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 5060, 5061, 5070, 5055, 5058, 5072, 5059 कुल किता 07 रकबा 14.05 बीघा भुमि वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी सं. 3 के पति के संयुक्त खाते कृषि भूमि स्थित है। इस भुमि में 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण का 1/2 हक व हिस्सा हैं। इस कृषि भुमि के अलावा खाता सं. 1133 में आराजी चाह सं. 5057 रकबा 6 बिस्वा स्थित हैं आराजी चाह सं. 5057 में वर्तमान राजस्व अभिलेख मे कालूराम गोपाल 2/3 व अनोप 1/3 हक व हिस्सा हैं। अनोप बाई का नाम राजस्व अभिलेख में गलत दर्ज हैं। इस हेतु अलग से कार्यवाही की जावेगी। वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता तथा प्रतिवादी सं. 3 के पति ने अपनी कृषि भूमि की सिचाई हेतु राज. राज्य विधुत मण्डल में संयुक्त रूप से आराजी चाह सं. 5057 पर विधुत कनेक्शन लेकर एक 5 हार्सपावर की विधुत पम्प मोटर लगवाई तथा संयुक्त रूप से एक कमरा व मण्डी का निर्माण करवाया तथा एल टी एल स्टार्टर लगाया वादी व प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार विधुत बिल का भुगतान करते आ रहे है तो वाद पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि की सिंचाई उक्त आराजी चाह व विधुत मीटर से करते आ रहे है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता तथा प्रतिवादी सं. 3 के पति की मृत्य के उपरान्त प्रतिवादीगण वादी को आराजी चाह व विधुत मोटर से वादी के हिस्से की कृषि भूमि की सिचाई में अवरोध करना प्रारम्भ कर दिया है। प्रतिवादी को वादी के हिस्से अनुसार विधुत मोटर व आराजी चाह के उपयोग में अवरोध करने का कोई हक व अधिकार नही हैं। इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत हैं कि वे वादी को उसके हिस्से अनुसार आराजी चाह एव विधुत मोटर के उपयोग उपभोग में किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करें करावे। जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से प्रतिवादीगण को

कोई नुकसान नही हैं। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा सर्वकालीन जारी करने में उनको किसी प्रकार का नुकसान नही है। जबकी वादी के पक्ष में ऐसी स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने पर अपार क्षति होना व अनेक मुकदमे होना सम्भावित है। वादी स्थाई निषेधाज्ञा सर्वकालीन जारी करवाने की अधिकारी है। वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दंखलदाजी नही करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की और से श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की और से जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया की मृतक कालूलाल के बताये गये सजरे के अलावा 3 लडकिया कोसल्या सावित्री सन्तोक है जिन्हे सजरे में नही दर्शाया है। वादी एव कालूलाल ने शामील में कमरा बनाया व विधुत मोटर लगाई लेकिन बाद में वादी व कालूलाल के मध्य बंटवारा आपसी सहमति से हो गया जिसके अनुसार वादी ने विधुत मोटर का पैसा ले लिया एंव कुए का हिस्सा कालू के पास मे वादी ने छोड दिया। वादी एव प्रतिवादी के पिता के मध्य आपसी समझौता हुआ व इस आशय का समझौता पत्र आपस में किया वादी ने सिचाई के साधन विधुत मोटर व कुए का अपने अधिकार छोड दिया है। वह वादी का फोगिया नामी कुए व इस पर लगी मोटर पर कोई हिस्सा व अधिकार नही है। अब कुए पर अधिकार नही रहा। न ही वादी का इसी कुए के पास में अन्य कुआ और जिस पर वादी का कब्जा व अधिकार हैं उसका उपयोग उपभोग नही करते। वादी सामलाती खातेदारी होने से रेवेन्यु रेकार्ड गलत उपयोग करना चाहता हैं विधुत मोटर को वादी के हिस्सो की उसने कीमत प्राप्त कर ली हैं दावे में कालू की पुत्रियो को पक्षकार नही बनाया इसलिये दावा मिस जोईन्डर नोन जोईनडर पार्टी के अभाव में खारीज होने योग्य हैं जिससे वादी का वाद मय हजै खर्चे के खारीज कराया जाना फरमावे।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2052 से 2055 की नकल, नक्शा ट्रेस, बिजली के बिल, इकरार नामा की प्रति पेश किये गये। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की वादीगण उपरोक्त वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल से होती है। तथा प्रथम दृष्टया केश एवं सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में है। जिसे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 5060, 5061, 5070, 5055, 5058, 5072, 5059 कुल किता 07 रकबा 14.05 बीघा में वादी के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त में सिंचाई हेतु प्रतिवादीगण किसी प्रकार से उनके नौकरों व ऐजेन्टों रिश्तेदारो द्वारा वादी के सिंचाई हेतु उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम —जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास — श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

श्री गोपाल लाल पिता रामनिवास सुनार नि. जहाजपुर तह0 जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्री रामस्वरूप पिता कालू लाल सुनार नि. जहाजपुर तह0 जहाजपुर
2. श्री रामेश्वर पिता कालू लाल सुनार नि. जहाजपुर हाल पुलिस कांस्टेबल पुलिस लाईन भीलवाडा
3. श्रीमति जानकी देवी पत्नि कालू लाल सुनार नि. जहाजपुर तह0 जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत — 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :— 447/2000 (817/99)

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री ओमप्रकाश मुन्दडा का मिनजानिब मुदई व श्री रितेश कांटिया का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 5060, 5061, 5070, 5055, 5058, 5072, 5059 कुल किता 07 रकबा 14.05 बीघा में वादी के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त में सिंचाई हेतु प्रतिवादीगण किसी प्रकार से उनके नौकरों व ऐजेन्टों रिश्तेदारो द्वारा वादी के सिंचाई हेतु उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.12.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:49:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: